(14)

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर

म/पुर्नविलोकन/जबलपुर/भू.रा/2018/2097

प्रकरण क्रमांक / 2018

आवेदकगण – 1– वृद्विनारायन शुक्ला पुत्र स्वामीनाथ शुक्ला

2– श्रीमती मैना शुक्ला पत्नी श्री वृद्विनारायन शुक्ला

दोनो निवासी– मकान नं. ई/आर 33 साउथ सिविल लाइन्स,पचपेड़ी शुक्ला निवास तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)

विरूद्ध

अनावेदकगण – 1– संजय चौधरी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी 769, बड़ी ओमती, भरतीपुर, जबलपुर

2– शांती देवी साहू पत्नी श्री मथुरा प्रसाद साहू निवासी इमामबाड़ा, खटीक मोहल्ला तहसील एवं जिला जबलपुर

आवेदन अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

आवेदकगण माननीय न्यायालय द्वारा प्र.क्रं. निग.1441–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 07–02–2018 जिसके द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्र.क्रं. 839/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 29–01–16 निरस्त किया गया है, को पारित करते समय माननीय न्यायालय से कतिपय बिन्दु दृष्टि ओझल हो गये हैं, अतः यह पुर्नविलोकन (Review) याचिका निम्नांकित तथ्य एवं आधारो पर प्रस्तुत करते हैं ।

यह कि पुर्नविलोकन आवेदन व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 114 एवं आदेश 47 नियम 1 (एक) में अंकित आधारो पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है ।

(1) Discovery of new and important matter of evidences which after exercise of duediligence was not within his knowledge or could not be procured by him at the time when the order was made, or

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/रिव्यू/जबलपुर/भू0रा0/2018/2097 जिला -जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/04/18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन आवेदन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निग0 1444-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 07-02-2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया तथा आलोच्य आदेश का सूक्ष्मता से अवलोकन किया । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पुर्नविलोकन का क्षेत्र सीमित होता है और अपवाद स्वरूप् विशिष्ट परिस्थितियों में ही पुर्नविलोकन किया जाना न्यायोचित होता है, और जिन आधारों पर अपील या निगरानी स्वीकार हो सकती है वे पुनरावलोकन के आधार नहीं हो सकते । संहिता की धारा 51 सहपठित आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :- 1- किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश पारित किया गया था, पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2- मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3- अन्य कोई पर्याप्त कारण आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुर्नविलोकन में नया तथ्य	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	यह लाने का प्रयास किया गया है कि विवादित भूमि का पंजीकृत बैनामा दिनांक 19-12-11 को अनावेदक संजय चौधरी द्वारा तृतीय पक्ष के नाम से निष्पादित कर दिया गया था और यह तथ्य आवेदकगण के संज्ञान में इस न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 07-02-18 के पारित होने के पश्चात आया था । अत: अनावेदक क्रं0 1 द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण ही विचार योग्य नहीं थी । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि विद्वान अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अनावेदक क्रमांक 1 के विरूद्ध पारित किया गया था और अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा की गई खरीद एवं संबंधित कार्यवाहियों को त्रुटिपूर्ण बताया गया था, इस कारण अनावेदक क्रमांक 1 को अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार था । जहां तक पूर्व विक्रेता द्वारा पुनरीक्षण करने का अधिकार होने का प्रश्न है तो जब अनावेदक क्रमांक 1 के विरूद्ध अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित किया गया था तब अनावेदक क्रमांक 1 को अधिकार प्राप्त था कि वो उक्त आलोच्य आदेश के विरूद्ध उचित कार्यवाही उच्च स्तरीय न्यायालय में करें जो कि उसके द्वारा विधिवत की गई है । यदि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अन्यत्र विक्रय कर दी गई है तो भी उक्त संव्यवहार का क्रेता सद्भाविक है या नहीं उक्त संव्यवहार सही है या नहीं, इत्यादि, विषयों को श्रवण करने का क्षेत्राधिकार व्यवहार न्यायालय को प्राप्त है ना कि राजस्व न्यायालय को । आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य तर्कों में उपरोक्त आधारों में से कोई आधार नहीं बतलाया जा सका है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुर्नविलोकन का आधार नहीं है । पुर्नविलोकन में अन्य जिन आधारों को बतलाया गया है उन आधारों पर इस न्यायालय द्वारा विधिवत	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/[illegible]/जबलपुर/भू0रा0/2018/2097 जिला -जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विचार करके आदेश पारित किया गया है । न्यायदृष्टांत 1976 आर0एन0 26 में राजस्व मंडल के विद्वान अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी है कि - जब कोई भूल अभिलेख से प्रत्यक्षत: दर्षित हो तब पुर्नविलोकन नहीं हो सकेगा । पुर्नविलोकन के बहाने किसी प्रकरण को इस उद्धेश्य से नहीं खोलाजा सकता कि उसी सामग्री के आधार पर पुन: निर्णय किया जाये । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1995 एम.पी.एल.जे. 26 (मीरा भानजा विरूद्ध निर्मला कुमार चौधरी) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि - सी.पी.सी. आदेश 47 नियम-1 अभिकथित गलती को ढूंढ निकालने की दृष्टि से समग्र साक्ष्य की विवेचना अनुज्ञेय नहीं । उपरोक्त न्यायदृष्टांतो में अभिनिधारित मत एवं प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात इस न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण मैं नहीं पाता हूं । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुर्नविलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राहय किया जाता है । प्रशासकीय सदस्य	